



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. एच. बी. पटेल  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

स्पीड पोस्ट/रजि. डाक/हाथ द्वारा

F. No. 55-29/2018-ACD/865

दिनांक: 28.11.2022

महोदय/महोदया,

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सेक्टर 29 परिसर में वीएलआरसी बोर्ड रूम में दिनांक 26.11.2022 को सायं 05:30 बजे माननीय कुलपति की अध्यक्षता में हुई अधिष्ठाताओं, प्रोवोस्ट और कुलानुशासक की बैठक के प्रमुख बिंदु संलग्न हैं। बिन्दुओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रति संलग्न है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सधन्यवाद!

सादर  
डॉ. ए. पटेल  
28/11/22  
कुलसचिव (कार्यकारी)

प्रति (ई-मेल द्वारा):

1. सभी अधिष्ठाता/अध्यक्ष/समन्वयक
2. परीक्षा नियंत्रक (कार्यकारी)
3. डीएसडब्ल्यू
4. प्रोवोस्ट
5. कुलानुशासक
6. डीएसडब्ल्यू कार्यालय
7. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
8. संस्थान कार्यालय
9. उप कुलसचिव (अकादमिक)
10. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
11. अकादमिक और प्राधिकारी अनुभाग
12. कुलपति सचिवालय